पत्र संख्या-3/एस0-6(पी0) 04/2003- 2474/वि

झारखंड सरकार
वित्त विभाग ।

प्रेषक, राँची, दिनांक 20-9-03

श्री एम0 एस0 भाटिया,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागों के आयुक्त एवं सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त ।

विषय:- राज्य के सेविवर्ग को सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के लाभ की संपुष्टि के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार यह कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14-8-02 के द्वारा राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना केन्द्र के अनुरूप स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है ।

2- उपर वर्णित संकल्प की कंडिका-10 में औपबंधिक रूप से ए0 सी0 पी0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन देने की शक्ति प्रशासी विभाग/संवर्ग नियंत्रण पदा0 को प्रदत्त है । उस कंडिका में यह कहा गया है कि औपबंधिक प्रोन्नति की संपुष्टि एक वर्ष के अन्दर वित्त विभाग से करा लिया जायेगा ।

3- आये दिन ऐसा देखा जा रहा है कि संवर्ग नियंत्रण पदा0, वित्तीय उन्नयन देते समय वित्त विभाग के ऊपर वर्णित संकल्प का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं करते हैं और इसके चलते राज्य के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । वित्त विभाग के द्वारा ऐसे आदेशों को निरस्त किये जाने से भविष्य में मुकदमें की संख्या में वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

4- कभी-कभी अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा सीधे वित्तीय उन्नयन की संपुष्टि हेतु सेवा पुस्त वित्त विभाग को भेज दिया जाता है । कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूरी सूचना की अपेक्षा प्रशासी विभाग से की जाती है । अतः यह आवश्यक है कि वित्तीय उन्नयन के प्रत्येक मामलों में प्रशासी विभाग पूरी तरह संतुष्ट होकर और तत्पश्चात ही अंतिम रूप से ~~संपुष्टि~~ संपुष्टि हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाए ।

5- इन कठिनाईयों को दूर करने एवं वित्त विभाग के संकल्प सं0-5207 दिनांक 14.8.02 के प्रावधानों को सही एवं प्रभावकारी ढंग से लागू करने हेतु स्पष्ट किया जाता है कि:-